



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 जुलाई, 2007 ई0

आषाढ़ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1110/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून, 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, राग 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04, वर्ष 2007)

जिला स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना तैयार करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषा

2. इस अधिनियम में—

- (क) "विधान सभा की निर्वाचक नामावली" से राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन तैयार की गई हो;
- (ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "जिला स्तरीय अधिकारी" से जिले के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (घ) "क्षेत्र पंचायत" से "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961" (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत अभिप्रेत है;
- (ङ) "मंत्री" से उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् के सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री और उपमंत्री भी सम्मिलित हैं;
- (च) "नगर पालिका" से यथास्थिति उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन गठित किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका परिषद् या किसी नगर पंचायत अभिप्रेत है;
- (छ) "जनसंख्या" से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;
- (ज) "ग्रामीण क्षेत्र" से नगरीय क्षेत्र से भिन्न कार्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (झ) "नगरीय क्षेत्र" से यथास्थिति किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ञ) "जिला पंचायत" से "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961" (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 17 के अधीन स्थापित कोई जिला पंचायत अभिप्रेत है।

जिला योजना समिति का गठन

3. (1) प्रत्येक जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी—

(एक) पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(दो) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

समिति सदस्यों की ऐसी संख्या से संरचित होगी जैसी विहित की जाए: जिला योजना समिति का संरचना
परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या पन्द्रह से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी।

समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पाँच से अत्यन्त सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जाएंगे।

(3) जहाँ जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगर पालिका समाविष्ट हों, वहाँ ऐसी नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या जो ऐसी नगर पालिकाओं में ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, वितरित किया जायेगा।

(4) समिति के शेष अधिकतम एक बटा पाँच सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत,

(ग) जिला मजिस्ट्रेट-पदेन सदस्य

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पाँच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।

(5) उपधारा (4) खण्ड (घ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगर पालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, जो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्ति की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित रीति से उसकी शेष पदवधि के लिए भरा जायेगा।

5. समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा।

रिक्तियाँ इत्यादि समिति की कार्यवाहियों की अविधिमान्य नहीं करेंगी

6. (1) लोक समा के सदस्य और राज्य की विधान समा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे। समिति के स्थायी आमंत्रित

(2) राज्य समा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(3) राज्य की विधान समा के ऐसे सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(4) ऐसी नगर पालिकाओं का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हों, यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष, समिति के स्थायी आमंत्रित होंगे।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा।

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहाँ वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहाँ वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

समिति का सचिव

7. (1) मुख्य विकास अधिकारी समिति का सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य विकास अधिकारी" के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

- (2) जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी, समिति का ऐसी रीति से, जैसी समिति द्वारा निदेशित की जाए, समिति की सहायता करने के लिए पदेन संयुक्त सचिव होगा।

समिति के सदस्यों

का निर्वाचन

8. राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक भागवली तैयार कराने का और उस निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार होगा।

समिति के कृत्य

9. समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थातः—

- (क) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना;
- (ख) विकेन्द्रीकृत योजना के लिए और जिला और ब्लॉक संसाधन की पार्श्विका तैयार करने के लिए आंकड़ों का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से सम्बन्धित सूचना को एकत्र, संकलित और अद्यतन करना;
- (ग) ग्राम, ब्लॉक, और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना;
- (घ) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को अवधारित करना;
- (ङ) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को, समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए उपान्तरित या संशोधित और संगेकित करना;
- (च) राज्य सरकार को विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करना;
- (छ) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना;
- (ज) जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना;
- (झ) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर सेक्टर और सब-सेक्टर के परिचयों का आवंटन करना;

- (ज) जिले में 'वर्क-ड्राफ्ट' योजना की रूपरेखा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र पुरोभिधानित योजनायें और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और विधान सभा-निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनायें भी हैं, के अधीन प्रगति का अनुग्राहण, मूल्यांकन और समीक्षा करना,
- (ट) जिला योजना में सम्मिलित की गयी योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,
- (ठ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिए संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चात्गामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना,
- (ड) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना,
- (ढ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो, सुझाव और संस्तुतियां देना,
- (ण) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए व्यय को अन्तिम रूप देना,
- (त) कोई अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।
10. (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण जिला योजना का क्षेत्रों, के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य कार्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) में आगणित किये गये हों।
- (2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे जिन्हें सभिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेशित करे।
11. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता जिला योजना की लगायेगी और उनका प्राक्कलन करेगी तथा तदनुसार जिला योजना परिव्यय अधिकतम सीमा की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन नियत की गयी जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।
12. सभिति जिले के लिए विकास योजना के प्रारम्भ को अन्तिम रूप देगी। जिला योजना का अन्तिम रूप दिया जाना
13. (1) जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार जिला योजना जिलों को धन का परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अपने वार्षिक वित्तीय आवंटन विवरण में जिलेवार धन के लिए उपबन्ध कर सकेगी और उसके सम्यक् विनियोग के पश्चात् एकमुश्त धनराशि जिलों को आवंटित करेगी।
- (2) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट को धारा 12 के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिए वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।
- (3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, सभिति, योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।

- विवाद का संकल्प 14. यदि सभिति के कृत्य, उसकी शक्ति या अधिकारिता के सम्बन्ध में या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- सभिति की बैठक 15. (1) सभिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।
(2) सभिति उसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित किये जायें, आमंत्रित कर सकेगी।
(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सभिति का ऐसा अन्य सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित सभिति के सदस्यों द्वारा चुना जाए, सभिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- उप-सभितियां 16. सभिति इस अधिनियम के अधीन उसके किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए उप-सभितियों का गठन कर सकेगी।
- सभिति को कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति 17. राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना समन्वय और अनुश्रवण से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हों और जो आवश्यक समझे जायें, सभिति को समनुदेशित कर सकेगी।
- सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण 18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- नियम बनाने की शक्ति 19. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- सभिति उसकी प्रक्रिया को विनियमित करेगी 20. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधधीन रहते हुए, सभिति उसकी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगी।
- कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते।
- अध्यासोही प्रभाव 22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध सभिति के गठन और उसके सदस्यों के निर्वाचन, योजना की संरचना और उसके आनुषंगिक या परिणामिक अन्य मामलों को सम्मिलित करते हुए, सभी मामलों में लागू होंगे।
- निरसन और अपवाद 23 (1) उत्तर प्रदेश जिला योजना सभिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1999) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में एतद्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारदान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
राधिव।